न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

वादपत्र मुकदमा नम्बर 224 / 2019 (2019 / 00400)

1 गंगाराम पुत्र भोमा
2 कानाराम पुत्र भागूता
जाति कुमावत निवासी पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1 सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग केकड़ी तह.केकड़ी जिला अजमेर
2 राज.सरकार जरिये तहसीलदार सावर तह.सावर जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.टेनेन्सी एक्ट
पठित धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 16.11.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर के विवरण निम्नानुसार है:–

खाता स. नया–पुराना	खसरानम्बर	रकबा	किस्म
125–114	2840 / 843	1.45	बारानी 2
91–67	843	1.46	बारानी 2
915–840	826	3.44	बारानी2

वादग्रस्त आराजीयात के पुराने ख.न. 1726 / 1 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा है जो राजस्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 में श्रीमति नरूकी पत्नि लक्ष्मीनारायण सिंह राजपूत निवासी पिपलाज की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। ग्राम पिपलाज में सिचाई विभाग द्वारा बांध बनाये जाने पर आराजी पुराना ख.न. 1726 / 1 का कुछ हिस्सा बांध की पाल में व बांध के अन्दर आ गया तथा कुछ हिस्सा बांध के बाहर रह गया था। आराजी पुराना खसरा नम्बर 1726 / 1 रकबा 31 बीघा 5 बिस्वा में से बांध के पाल के बाहर का हिस्सा 18 बीघा आराजी श्रीमति नरूकी पत्नि लक्ष्मीनारायण राजपूत से वादीगण ने दिनांक 19.2.1996 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया व इसी प्रकार का अंकन विक्रय पत्र में दर्ज है तथा क्रयशुदा आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। आराजी पुराना खसरानम्बर 1726 / 1 के नये खसरानम्बर 843 व 826 बनाये गये जिसमें से खसरा नम्बर 826 बांध की पाल की पाल के बाहर रहा व 843 बांध के अन्दर की तरफ डूब क्षैत्र में आ रहे है।

वादीगण ने उक्त आराजी का बांध की पाल के बाहर का हिस्सा क्रय किया था जिसका नया खसरा नम्बर 826 बनाया गया तथा वादीगण खसरानम्बर 826 रकबा 2.91 है. पर काबिज चले आ रहे है। तथा खसरा नम्बर 843 बाधं की पाल में व पाल के अन्दर स्थित है। जो डूब क्षैत्र में आ चुका है। भू–प्रबन्ध के समय भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने बिना मौके की जांच किये ही उक्त आराजी का बांध के बाहर का हिस्सा खसरा नम्बर 826 को डूब क्षैत्र में मानकर सिंचाई विभाग के नाम दर्ज कर दिया तथा बांध के अन्दर का डूब वाला खसरा नम्बर 843 वादीगण के नमा दर्ज कर दिया है, जो कतई गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जबकि वादीगण ने बांध के बाहर का हिस्सा क्रय किया था। वादीगण ने बांध के बाहर का हिस्सा खसरा नम्बर 826 रकबा 2.91 है. क्रय किया था जो वादीगण के नाम वर्तमान में दर्ज ख.न. 843 के स्थान पर ख.न. 826 रकबा 2.91 है. वादीगण के नाम दर्ज कया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:39 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

है। सिंचाई विभाग के खसरा नम्बर 826 के स्थान पर ख.न. 843 दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादीगण की आराजी मे आपसी बंटवारा करते समय मौके की स्थिति देखे बिना रिकॉर्ड के अनुसार आराजी का बंटवारा कर खसरा नम्बर 843 वादी कानाराम व ख.न. 2840/843 गंगाराम के नाम दर्ज कर दी गयी है। जो कतई गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम खसरा नम्बर 843 के स्थान पर ख.न. 826 दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी गंगाराम के जायन्दा पिता का नाम भागूता था परन्तु उसकी आराजी को क्रय करने से पहले वादी गंगाराम छोगा पुत्र देवी कुमावत के गोद गया था लेकिन विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराते समय भूल व सहवन से वादी गंगाराम पुत्र भागूता के स्थान प गंगाराम पुत्र छोगा कुमावत दर्ज किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पिपलाज में गंगाराम पुत्र भागूता का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण 5.5.2019 को हुआ जब से निरन्तर हो रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावें। वादीगण को आराजी ख.न. 843 रकबा 1.46 है. तथा आराजी ख.न. 840/843 रकबा 1.45 है. के स्थान पर आराजी. ख.न. 826 रकबा 2.91 है. खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज किया जावे।

सिंचाई विभाग के नाम आराजी ख.न. 826 रकबा 3.44 है. के स्थान पर 826/1 रकबा 0.53 है. व ख.न. 843 रकबा 1.46 है. ख.न. 2840/843 रकबा 1.45 है. , राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। वादी न. 1 गंगाराम पुत्रभागूता कुमावत के स्थान पर गंगाराम पुत्र छोगा कुमावत दर्ज किया जावें। तथा वादी न. 2 कानाराम पुत्र भागूता दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वादीगण की आराजी नया ख.न. 826 के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न पहुचाये न ही वादीगण को बैदखल करें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । सहायक अभियंता सिचाई विभाग को आदेशिका पर हस्ताक्षर कर बताया कि उन्हे दुरूस्ती किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार सावर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गत रिकॉर्ड व वर्तमान रिकॉर्ड में जांच अनुसार ग्राम पिपलाज की वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 में खाता स. 149 मे नोट नामा.स. 34 दिनांक 27.5.1987 के जरिये विक्रय पत्र ख.न. 1726/1 रकबा 31–05–00 बीघा में से 18–00–00 बीघा भूमि बिसुन्दनी बांध के बाहर की और गंगाराम पुत्र भागूता, कानाराम पि.भागूता दोनो जाति कुमावत के नाम बैचान हुआ जिसकी वर्किंग जमाबन्दी व रजिस्ट्री की प्रतिलिपी संलग्न है जो कि ख.न. 1726/1 के नये ख.न. 843रकबा 2.91 है. ,826 रकबा 3.44 बने जो कि रजिस्ट्री अनुसार बांध के बाहर के नम्बर 826 रकबा 2.91 है. पर गंगाराम ,काना पुत्र भागूता कुमावत दर्ज हो गया। अतः वर्तमान मे ख.न. 843 रकबा 2.91 है. के बंटवारा हो जाने से ख.न. 2840/843 रकबा 1.45 है. गंगाराम,पुत्र भागूता , कुमावत व 843 मूर्त रकबा 1.46 काना पुत्र भागूता कुमावत के नाम दर्ज है जो कि बांध के अन्दर की और स्थित है , संलग्न विक्रय पत्र अनुसार ख.न. 826रकबा 3.44 जो कि वर्तमान मं सिचाई विभाग के नाम दर्ज है जो बांध के बाहर की और स्थित है। अतः ख.न. 826 रकबा 3.44 में से 826/2.91 है. गंगाराम ,काना पुत्र भागूता दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 826/1 रकबा 0.53 व ख.न. 843 रकबा 1.46 , ख.न 2840/843 रकबा 1.45 है. सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किया जाना उचित है। वर्तमान में खसरा नम्बर 826 रकबा 2.91 पर गंगाराम व काना पि. भागूता का ही कब्जा काश्त होना रिपोर्ट में बताया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा प्रकरण स्वीकार करने की प्रार्थना की। तहसीलदार सावर के पेरोकार सरकार ने जवाब के कथनों को दोहराया । अप्रार्थीगण सहायक अभियंता को भी उक्त प्रकरण मे नियमानुसार दरूस्ती किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया । प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत किया है अतः तनकीयात कायम की कोई आवश्यकता नही है। प्रकरण मे तहसीलदार सावर को ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर ग्राम पिपलाज की वर्किंग जमाबन्दी सं. 2041 में खाता सं. 149 मे नोट नामा.सं. 34 दिनाक 27.5.1987 के जरिये विक्रय पत्र ख.न. 1726/1 रकबा 31-05-00 बीघा में से 18-00-00 बीघा भूमि बिसुन्दनी बांध के बाहर की और गंगाराम पुत्र भागूता, कानाराम पि.भागूता दोनो जाति कुमावत के नाम बैचान हुआ जिसकी वर्किंग जमाबन्दी व रजिस्ट्री की प्रतिलिपी संलग्न है जो कि ख.न. 1726/1 के नये ख.न. 843रकबा 2.91 है. ,826 रकबा 3.44 बने जो कि रजिस्ट्री अनुसार बांध के बाहर के नम्बर 826 रकबा 2.91 है. पर गंगाराम ,काना पुत्र भागूता कुमावत दर्ज हो गया। अतः वर्तमान मे ख.न. 843 रकबा 2.91 है. के बंटवारा हो जाने से ख.न. 2840/843 रकबा 1.45 है. गंगाराम, पुत्र भागूता , कुमावत व 843 मूर्त रकबा 1.46 काना पुत्र भागूता कुमावत के नाम दर्ज है जो कि बांध के अन्दर की और स्थित है , संलग्न विक्रय पत्र अनुसार ख.न. 826रकबा 3.44 जो कि वर्तमान मं सिचाई विभाग के नाम दर्ज है जो बांध के बाहर की और स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड के आधार पर वादी के पिता का नाम गंगाराम पुत्र छोगा है तथा साथ ही गंगाराम, काना पि. भागुता के स्थान पर गंगाराम पुत्र छोगा एवं कानाराम पुत्र भागुता का अंकन किया जावे।

अतः ख.न. 826 रकबा 3.44 में से 826/2.91 है. गंगाराम ,काना पुत्र भागूता दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 826/1 रकबा 0.53 व ख.न. 843 रकबा 1.46 , ख.न 2840/843 रकबा 1. 45 है. सिंचाई विभाग नाम दर्ज की जावें एवं साथ ही गंगाराम, काना पि. भागुता के स्थान पर गंगाराम पुत्र छोगा एवं कानाराम पुत्र भागुता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस में इन्द्राज की कार्यवाही तहसीलदार सावर द्वारा की जावें । इस आशय का डिकी पर्चा जारी की जावें। खर्चा फरिकेन अपना – अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग 2021 केम्प पिपलाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
केकडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner